न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
17/19	अपील	13.12.2019	19.04.2022

सुरजन पुत्र जौहरया जाति गुर्जर निवासी बाढ मिलकपुर तहसील गंगापुर सिटी।

–अपीलान्ट–

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुर सिटी।

–रेस्पोडेन्टे–

निर्णय

दिनांक:–19.04.2022

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय नायब तहसीलदार तलावडा तहसील, गंगापुर सिटी उनवानी मुकदमा सरकार बनाम सुरजन पुत्र जौहरया, मुकदमा नंबर–19/16 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारायणपुर में एक रिपोर्ट अपीलान्ट सुरजन पुत्र जौहरया के विरूद्ध भूमि ख0नं0 190 रकवा 0.10 हेक्टर ग्राम बाढ मिलकपुर पर संवत 2072 मे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर गेहूं की फसल काश्त की है। जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। जिसमे प्रार्थी के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया जिस पर प्रार्थी पर नोटिस की तामिल होने पर न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा में हाजिर हुआ तथा प्रार्थी ने बताया कि मौके पर प्रार्थी वर्तमान में कब्जा नही है। इस पर नायब तहसीलदार ने कहा ठीक है, पैनल्टी जमा करा देना, दुबारा कब्जा मत करना, यह कहते हुए प्रार्थी को बापस जाने को कहा तथा पैनल्टी जमा करावा ली। परन्तु इसके बाद नायब तहसीदार तलावडा ने उक्त प्रकरण में प्रार्थी को 60 दिन की सिविल कारावास के आदेश दिनांक 25.01.2016 को पारित कर दिये जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नही रही। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथीत होने से अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।
3. अपील में अपीलार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायिक सिद्धांतो के विपरित है। तथा निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मौके के वास्तविक तथ्यों के विपरित है। मौके पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है। इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तथ्यों से परे होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्णरूपेण सुनवाई व जबाव देही का अवसर प्रदान नही किया। इसलिए भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट को ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

2

है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कठोर दन्ड के निर्णय में दो माह के सिविल कारावास दे दंडित कर दिया जो एक अवैधानिक कार्यवाही है। जो निरस्त होने योग्य है। अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को निहित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। परन्तु अचानक दिनांक 03.12.2019 को जब पुलिस क़ा व्यक्ति प्रार्थी का वारंट लेकर घर पहुंचा तो प्रार्थी के घर वालो के द्वारा पुछने पर पुलिस वाले ने बताया कि सुरजन ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस बात पर वारंट है। इस बात की सूचना अपीलान्ट के घर वालो ने टेलिफोन पर अपीलान्ट को दे दी तथा नायब तहसीलदार तलावडा के यहा जाकर प्रकरण की जांच की तो वहा कर्मचारियों ने कहा कि फैसले की नकल ले लो, इस पर प्रार्थी के पुत्र ने दि0 04.12.2019 को उक्त निर्णय की नकल के लिए आवेदन कर निर्णय की नकल प्राप्त की एवं नकल लेकर प्रार्थी के पुत्र ने प्रार्थी को बताई, तब नकल देखने पर अपीलान्ट सर्वप्रथम दिनांक 04.12.19 उक्त निर्णय की जानकारी हुई। होने जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। ताहम भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है। अपील उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य उजरात वरवक्त बहस जुवाने अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तलावडा दिनांक 25.01.2016 मु0नं0 19/16 उनवानी सरकार बनाम सुरजन निरस्त किया जावें।

4. अपील में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।
6. बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दौरान करते हुये कहां कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
7. हमने अपील एवं मिसल अधीनस्थ न्यायालय का अधोपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।
8. प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्याय हित में स्वीकार करते है।यह निर्विवादित है कि अपीलान्ट ने भूमि ख0नं0 190 रकवा 0.10 हेक्टर ग्राम बाढ मिलकपुर पर संवत 2072 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर गेहूं की फसल काश्त की पटवारी की रिपोर्ट पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को लगान के 50 गुना शास्ती आरोपित करने के साथ ही 60 दिवस के सिविल कारावास से भी दंडित किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 91 का सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया धारा मे दिये गये प्रावधान अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने पर 3 माह तक का सिविल कारावास होने का प्रावधान है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करने के लिये यह आवश्यक है कि अतिक्रमी ने पूर्व में किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हो और न्यायालय द्वारा उसे आदेश द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो, और इसके पश्चात उसी भूमि पर अतिक्रमी ने पुनः अतिक्रमण कर लिया हो। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय नायब तहसींदार के आदेश में यह कही भी नही लिखा गया है कि वह पश्चातवर्ती अतिक्रमण है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में इसे पुराना अतिक्रमण बताया है। अधिनस्त न्यायालय के निर्णय के कार्यात्मक भाव (Operative Portion) में न्यायालय ने यह भी उल्लेख नही किया

है कि यह पश्चातवर्ती अतिक्रमण है। हमारे सुविचारित राय में पत्रावली में ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नही है जो इसे पश्चातवर्ती अतिक्रण साबित करे। अतः अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते है। हम सिविल कारावास के दंड को खारिज करते है। अदालत मातहत का शेष निर्णय यथावत रहेगा।

आदेश

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही होने से सिविल कारावास के दंड को खारिज करते है। अदालत मातहत का शेष निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 19.04.2022 को सरे इजलास सुनाया।

19.4.22

(नवरत्न कोली)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी